



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268757
CG-DL-E-23122025-268757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 827]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 827]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 913(अ).— केंद्र सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में संशोधन करने हेतु उक्त नियमावली के कतिपय नियमों का मसौदा उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित करती है; और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जन सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के पश्चात उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे श्री राम चरण मीणा, अवर सचिव, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नंबर 11ए, 5वीं मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को अथवा ईमेल आईडी - rcmeena.79@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ — (1) इन नियमों को भवनों और निर्मित वातावरण में गैर-पराक्रम्य सुगम्यता मानकों पर दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नियम 15 में उप-नियम का समावेश— दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (त) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(थ) भवनों और निर्मित वातावरण में गैर-पराक्रम्य सुगम्यता मानक”

(क) परिभाषा— जब तक कि संदर्भ के होते हुए अन्यथा अपेक्षित न हो— (क) जो अभिव्यक्तियाँ यहाँ प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, परंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं; (ख) “गैर-पराक्रम्य मानक” का अर्थ इन नियमों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से प्रभावी होने वाले मानकों से है, जिनका पालन न करने पर इस अधिनियम के अनुसार परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें भवन निर्माण की अनुमति या मंजूरी देने से मना करना, पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र देने से मना करना, और जुर्माना लगाना शामिल है; (ग) “सार्वजनिक भवन” और “जन सुविधाएं और सेवाएं” का इस अधिनियम की धारा 2(ब) तथा 2(भ) में निर्दिष्ट अर्थ होंगे; (घ) “सार्वभौमिक पहुंच” का आशय सभी आयु और क्षमताओं के लोगों के लिए निर्बाध पहुंच से है; (ङ) “सार्वभौमिक डिज़ाइन” का अर्थ एक ऐसे डिज़ाइन से है जिसे सभी लोग, बिना किसी बदलाव की ज़रूरत के, अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग कर सकें।

(ख) सामान्य— (1) अनुसूची में निर्दिष्ट गैर-पराक्रम्य सुगम्यता मानक समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड से प्राप्त हैं, और उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित रूप के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा। (2) दायरा और प्रयोज्यता— ये मानक इस अधिनियम की धारा 44, 45 और 46 में उल्लिखित सभी भवनों और निर्मित वातावरण पर लागू हैं, इसमें सामूहिक आवास के अंदर अस्थायी अवसंरचनाएं और सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जगहें शामिल हैं, चाहे वे केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों या निजी प्रतिष्ठानों के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, जहां तक ऐसी जगहें सार्वजनिक भवन हैं अथवा जन सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती हैं। (3) प्रकटन — सार्वजनिक भवनों के मालिक, ऑपरेटर और नियामक अपनी वेबसाइट पर और उस स्थल पर सुगम्यता संबंधी विशेषताएं आसान फॉर्मेट में प्रदर्शित करेंगे। (4) अनुमति और पूर्णता — स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण भवन के संबंध में अनुमति और पूर्णता/अधिभोग प्रमाणपत्र तभी जारी करेंगे, जब इन नियमों का पालन किया गया हो और दिव्यांगजनों और सुगम्यता विशेषज्ञों के प्रतिनिधि सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन भवनों का सुगम्यता ऑडिट किया गया हो। (5) प्रवर्तन समय-सीमा — ये मानक उन परियोजनाओं पर तत्काल लागू होंगे जहां पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ है या जिन परियोजनाओं पर अधिभोग नहीं किया गया है। (6) जवाबदेही — अधिसूचना के तीन महीने के अंदर, प्रत्येक ज़िम्मेदार प्रतिष्ठान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और इस संबंध में प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। (7) आवधिक समीक्षा — केंद्र सरकार एनबीसी/आईआरसी और भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशा-निर्देश और स्थान मानक (2021) की अद्यतन स्थिति को दर्शाने के लिए हर तीन साल में इन मानकों की समीक्षा करेगा।

3. देयता: भवन संबंधी प्लान को अनुमोदन देने, पूर्णता और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने, या सार्वजनिक भवनों और जन सुविधाओं को नियंत्रित/संचालित करने वाले सभी सक्षम प्राधिकरणों को इन गैर-पराक्रम्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इन नियमों का अनुपालन न करने पर इस अधिनियम और इन नियमावलियों के तहत कार्रवाई की जाएगी। एनबीसी/आईआरसी कोड या सुसंगत दिशा-निर्देशों (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, 2021) में संशोधन होने पर, आवश्यकतानुसार, अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची को अद्यतित किया जाएगा।

अनुसूची
भाग क: भवन और निर्माण स्थल
(मुख्य सुगम्यता संबंधी मुद्दे)

क्रम संख्या	गैर-परक्राम्य मानक	प्राथमिक संदर्भ
ए1	साइट में पैदल आने-जाने वाले पदयात्रियों को पहुंच की सुविधा; बिना खतरे वाला सुरक्षित परिसंचरण; रेलिंग/बोर्ड की स्पष्ट चौड़ाई 900–1200 एमएम	आईआरसी:एसपी:117 (3.2.20); एनबीसी बी-2.6
ए2	मेन एंट्रेस के पास तय पार्किंग (कार और अडैप्टेड टू-व्हीलर); ऑन स्ट्रीट कंट्रोल।	आईआरसी:एसपी:117(3.2.16); आईआरसी:103 (6.11); एनबीसी बी-3
ए3	एंट्रेस तक लगातार पहुंचने लायक रास्ता, कर्ब रैंप, टीजीएसआई (गाइडिंग और वॉर्निंग) सहित, जिसमें गिरने का कोई खतरा नहीं हो।	एनबीसी बी-2.2 से B-2.6; एनबीसी बी-4; एनबीसी B-5
ए4	वॉकवे और एंट्रेस के लिए उपयुक्त बाहरी लाइटिंग।	एनबीसी बी-2.7
ए5	सुगम्य बाह्य फर्नीचर (लाइट पोल, बैठने की जगह, कूड़ेदान, कियोस्क) रास्तों के बाहर हटकर रखे हुए।	आईआरसी:एसपी:117; आईआरसी:103
ए6	एंट्रेस पर विभिन्न फॉर्मेट में आसानी से मिलने वाली जानकारी और सूचना की सुगम्यता।	आईआरसी:एसपी:117 (3.2.21); एनबीसी बी-24
ए7	मेन एंट्रेस के पास उपयुक्त ड्रॉप-ऑफ (उतरने) और पिक-अप (बोर्डिंग) पॉइंट।	एनबीसी बी-4
ए8	दूरी कम करना; वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए रैंप/लिफ्ट को सही जगह लगाना।	एनबीसी बी-5
ए9	एंट्री/एग्जिट की लेवलिंग; रैंप (जहां अनिवार्य हो वहां $\leq 1:15$), सीढ़ियों, लिफ्ट, एस्केलेटर, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से लेवल में बदलाव।	एनबीसी बी-6.2 से बी-6.6
ए10	आसान, लॉजिकल और साफ़ लेआउट; मल्टी-सेंसरी वेफ़ाईडिंग।	एनबीसी बी-24; एनबीसी बी-5
ए11	बिना रुकावट लेवल सर्कुलेशन; रुकावटों और खतरों पर नियंत्रण।	एनबीसी बी-2.6
ए12	सुगम्यता से मिलने वाली जानकारी/रिसेप्शन काउंटर और डेस्क; डेस्क/टेबल के साथ बैठने की जगह।	एनबीसी बी-1.1.1.3; एनबीसी बी-8.3; एनबीसी बी-10
ए 14	बाहर निकलने का स्पष्ट और आसान तरीका; इमरजेंसी में बाहर निकलना।	एनबीसी बी-23; एनबीसी पार्ट 4
ए16	सही ज्योमेट्री वाली सुरक्षित सीढ़ियाँ; छूने/दिखाने वाले संकेतक; दोनों तरफ रेलिंग।	एनबीसी बी-6.3; एनबीसी पार्ट 4 (12.18)
ए17	फिसलन रहित चलने योग्य सतहें (आईएस 13801): कम से	एनबीसी बी-22; आईएस 13801

	कम एससीओएफ— सूखा 0.5; गीला 0.6; सीढ़ियाँ/फर्श/लिफ्ट 0.6; रैंप 0.8. मापनीय सुरक्षा सीमाएं	
ए18	चौड़े दरवाज़े और आसान संचालन; उसी के अनुरूप खिड़कियाँ।	एनबीसी बी-5.3; एनबीसी बी-5.4
ए19	दरवाज़ों के आसपास खाली जगह जिसमें व्हीलचेयर चलाना आसान हो।	एनबीसी बी-5.3
ए20	दरवाज़ों और सर्कुलेशन नोड्स पर संचालन/घूमने के लिए पर्याप्त जगह।	एनबीसी बी-5.3
ए21	कंट्रोल बटनों और स्विच की ऊंचाई/जगह आसान पहुंच की रेंज में हो, जिसे कसकर पकड़े बिना भी चलाया जा सके।	एनबीसी बी-7
ए22	सही लाइटिंग (टास्क ओरिएंटेड एक समान प्रकाश करने वाली)।	एनबीसी बी-22
ए23	दीवारों, फर्श, दरवाज़ों और साइनेज का सही विज़ुअल कंट्रास्ट।	एनबीसी बी-24.3
ए 24	सही साइनेज; एक जैसे पिक्टोग्राम और सही जगह लगाए गए।	एनबीसी बी-24
ए25	कम से कम दो इंद्रियों (स्पर्श, श्रवण, दृश्य) के माध्यम से जानकारी।	एनबीसी बी-24; बी-24.1.2; बी-24.1.3
ए26	जहां जरूरी हो, वहां ध्वनि संबंधी वातावरण और सुनने की क्षमता बढ़ाने वाले सिस्टम।	एनबीसी बी-21
ए27	व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए आसानी से और इस्तेमाल करने लायक पीने के पानी की सुविधा।	एनबीसी बी-7.11
ए28	हैंडरेल और ग्रैब बार—आयाम, प्लेसमेंट और रिटर्न।	एनबीसी बी-5.5
ए29	सिग्नोरिटी एक्सेस सिस्टम जिसमें सुगम्य इंटरफेस शामिल हैं।	एनबीसी बी-7.10
ए31	साथ में बैठने वाले साथी के लिए जगह और व्हीलचेयर की जगह।	एनबीसी बी-8
ए32	टॉयलेट रूम और सैनिटरी रूम, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर सभी जेंडर के लिए सुगम्य टॉयलेट और ऊपरी मंज़िल पर अल्टरनेटिंग आरएचएस/एलएचएस टॉयलेट शामिल हैं।	एनबीसी बी-9
ए33	रिसेप्शन एरिया, काउंटर, डेस्क और टिकट ऑफिस—सुगम्य, खाली जगह और कम्युनिकेशन।	एनबीसी बी-10
ए34	आसानी से मिलने वाले काउंटर और सर्कुलेशन वाले क्लॉकरूम।	एनबीसी बी-11
ए35	ऑडिटोरियम, कॉन्सर्ट हॉल, स्पोर्ट्स एरीना—बैठने और देखने का सुगम्य स्थान।	एनबीसी बी-12
ए36	कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम—पर्याप्त जगह की आवश्यकता और आसानी से मिलने वाले रास्ते।	एनबीसी बी-13
ए37	असेंबली एरिया में देखने की जगहें (व्यूईंग स्पेस)—व्हीलचेयर से देखने की स्पष्ट सीध।	एनबीसी बी-14
ए38	बार, पब, रेस्तरां - सुगम्य मार्ग, काउंटर और बैठने की व्यवस्था।	एनबीसी बी-15

ए39	छतें, बरामदे और बालकनियाँ—सुरक्षित किनारे और पहुँचा।	एनबीसी बी-16
ए 40	नॉन-डोमेस्टिक बिल्डिंग में सुगम्य बेडरूम।	एनबीसी बी-17
ए41	रसोई क्षेत्र - पहुँच रेंज, साफ़ जगह और नियंत्रण।	एनबीसी बी-18
ए42	स्टोरेज एरिया—पहुँच की रेंज में शेल्फ और लॉकर।	एनबीसी बी-19
ए43	सुगम्य आवास-आवास इकाई प्रावधान।	एनबीसी बी-20
ए44	निर्मित वातावरण का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस।	एनबीसी बी-25
ए45	एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मॉल में सर्विस-एनिमल रिलीफ एरिया।	नागरिक उड्डयन सुगम्यता मानक (अनुच्छेद 18)
ए46	जगह बदलना (स्टेशन बदलना—आयाम और फिक्सचर)।	एनबीसी टेबल 8; एनबीसी बी-9.14
ए47	आपातकालीन निकास (इमरजेंसी इवैक्युएशन)—बचाव मदद का क्षेत्र और प्रक्रिया।	एनबीसी बी-23; एनबीसी पार्ट 4, सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स
ए15	[क्लॉज सीक्वेंस बनाए रखने के लिए आरक्षित।]	—

अनुसूची

भाग ख: यात्री सुविधाएं (बस स्टॉप/टर्मिनी, रेलवे स्टेशन जिनमें प्लेटफॉर्म शामिल हैं, मेट्रो/बीआरटी, एयरपोर्ट, हार्बर और जेट्टी)

क्रम संख्या	गैर-परक्राम्य मानक	प्राथमिक संदर्भ
बी1	साइट पर पदयात्रियों की पहुँच; व्हीलचेयर के लिए स्पष्ट चौड़ाई वाली रेलिंग और बोलाई लगाएं।	आईआरसी:एसपी:117 (3.2.20)
बी2	मेन एंट्रेस के पास तय पार्किंग; रास्ते पर इंतज़ाम।	आईआरसी:एसपी:117(3.2.16); आईआरसी:103 (6.11); एनबीसी बी-3
बी3	एंट्रेस तक आसानी से पहुँचने वाला रास्ता और सुनिश्चित करें कि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए आसानी से पहुँचा जा सके (कर्व रैंप, टीजीएसआई, गिराए गए कर्व ; कोई रुकावट नहीं)।	एनबीसी बी-2.2 से बी-2.6; एनबीसी बी-4; एनबीसी बी-5
बी4	वाँकवे के लिए उपयुक्त बाह्य लाइटिंग।	एनबीसी बी-2.7
बी5	सुगम्य बाहरी फ़र्नीचर (बिजली का खंभा, सीट, बिन, कियोस्क) रास्तों से हटाकर बाहर रखें।	आईआरसी:एसपी:117; आईआरसी:103
बी-6	साइट के एंट्रेस पर मिलने वाली जानकारी (रास्ता ढूँढने वाली और साइनेज)।	आईआरसी:एसपी:117 (3.2.21)
बी 7	मेन एंट्रेस के पास सही ड्रॉप-ऑफ और पिक-अप।	एनबीसी बी-4
बी8	कम दूरी (गेट/प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए सबसे छोटे रास्ते)।	एनबीसी बी-5
बी9	लेवल एंट्री/एग्जिट; रैंप, लिफ्ट, एस्केलेटर और लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से लेवल में बदलाव; इंटर-प्लेटफॉर्म ट्रांसफर आसानी से हो सके।	एनबीसी बी-6.2 से बी-6.6

बी10	आसान और लॉजिकल लेआउट।	एनबीसी बी-24; एनबीसी बी-5
बी11	बिना रुकावट लेवल सर्कुलेशन; बैरियर कंट्रोल।	एनबीसी बी-2.6
बी 12	इन्फॉर्मेशन डेस्क और काउंटर तक आसान पहुंच।	एनबीसी बी-1.1.1.3; एनबीसी बी-10
बी13	बाहर निकलने का स्पष्ट और आसान तरीका; आपातकालीन निकास।	एनबीसी बी-23
बी14	सुरक्षित सीढ़ियाँ, जिनमें सही ज्योमेट्री और मदद से निकलने के लिए संकेत हों।	एनबीसी पार्ट 4 (12.18); एनबीसी बी-6.3
बी15	फिसलन-रोधी चलने योग्य सतहें।	एनबीसी बी-22; आईएस 13801
बी16	चौड़े दरवाज़े और आसान ऑपरेशन; अनुरूप खिड़कियाँ।	एनबीसी बी-5.3; एनबीसी बी-5.4
बी17	दरवाज़ों के आसपास खाली जगह जिसमें व्हीलचेयर चलाना आसान हो।	एनबीसी बी-5.3
बी18	मैनूवरिंग के लिए पर्याप्त जगह।	एनबीसी बी-5.3
बी19	पहुंच की रेंज में कंट्रोल और स्विच की ऊंचाई/जगह।	एनबीसी बी-7
बी20	सही लाइटिंग।	एनबीसी बी-22
बी21	दीवारों, फर्श, दरवाज़ों और साइनेज का सही विज़ुअल कंट्रास्ट।	एनबीसी बी-24.3
बी22	सही साइनेज।	एनबीसी बी-24
बी23	कम से कम दो इंद्रियों (स्पर्श, श्रवण, दृश्य) के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी।	एनबीसी बी-24; बी-24.1.2; बी-24.1.3
बी24	ध्वनि संबंधी माहौल; ज़रूरत पड़ने पर सुनने की क्षमता बढ़ाने वाले सिस्टम।	एनबीसी बी-21
बी25	पीने के पानी की सुविधा।	एनबीसी बी-7.11
बी26	हैंडरेल और ग्रैब बार।	एनबीसी बी-5.5
बी27	सिग्नोरिटी एक्सेस सिस्टम जिसमें एक्सेसिबल इंटरफेस शामिल हैं।	एनबीसी बी-7.10
बी28	बैठने की जगह, जिसमें साथ बैठने की जगह और व्हीलचेयर की जगहें शामिल हैं।	एनबीसी बी-8
बी29	टॉयलेट रूम और सैनिटरी रूम, जिसमें एक्सेसिबल टॉयलेट में चेंजिंग स्टेशन भी शामिल है।	एनबीसी बी-9
बी30	रिसेप्शन एरिया, काउंटर, डेस्क और टिकट ऑफिस।	एनबीसी बी-10
बी31	क्लॉक रूम	एनबीसी बी-11
बी32	बार, पब, रेस्टोरेंट, वगैरह (जहां सुविधा हो, वहां लागू)।	एनबीसी बी-15
बी33	नॉन-डोमेस्टिक बिल्डिंग में सुगम्य बेडरूम (जैसा कि फैसिलिटी पर लागू हो)।	एनबीसी बी-17

बी34	स्टोरेज एरिया।	एनबीसी बी-19
बी35	निर्मित वातावरण का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस।	एनबीसी बी-25
बी36	सर्विस-एनिमल रिलीफ एरिया।	नागरिक उड्डयन सुगम्यता मानक (अनुच्छेद 18)
बी37	आपातकालीन विकास	एनबीसी बी-23; एनबीसी पार्ट 4

[फा.सं.- आई-15/8/2025-कानूनी]

मनमीत कौर नंदा, अपर सचिव

नोट: दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जीएसआर 591 (ई), दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार जीएसआर 361(ई), दिनांक 2 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था। भवनों और निर्मित वातावरण में गैर-परक्राम्य पहुंच मानकों पर दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2025।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2025

G.S.R. 913(E).— The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ram Charan Meena Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 11 A, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at rcmeena.79@gov.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and Commencement— (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules on Non-Negotiable Accessibility Standards in Buildings and Built Environment, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of sub-rule in Rule 15— In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, after clause (p) of sub-rule (1) of rule 15, the following clause shall be inserted, namely:

“(q) Non-negotiable Accessibility Standards for Building and Built Environment.”

(A) Definitions— Unless the context otherwise requires— (a) expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act; (b) “non-negotiable standards” mean standards coming into effect from the date of notification of these rules, non-compliance with which shall be liable to consequences as per the Act, including refusal of building permission or sanction, refusal of completion/occupation certificate, and imposition of penalties; (c) “public building” and “public facilities and services” shall have the meanings assigned to them in sections 2(w) and 2(x) of the Act; (d) “universal access” means unimpeded access for

people of all ages and abilities; (e) “universal design” means a design usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation.

(B) General— (1) The non-negotiable accessibility standards specified in the Schedule are derived from, and shall be read harmoniously with, the National Building Code of India (NBC) and Indian Roads Congress (IRC) codes as revised from time to time. (2) Scope and applicability.—These standards apply to all buildings and built environment referred to in sections 44, 45 and 46 of the Act, including temporary structures and publicly-used spaces within group housing, whether owned or controlled by Central, State or local governments or private establishments, insofar as such spaces are public buildings or provide public facilities and services. (3) Disclosure. — Owners, operators and regulators of public buildings shall disclose accessibility features on their websites and on site in accessible formats. (4) Permission and completion. — Sanctioning authorities shall issue building permission, and completion/occupation certificates, only upon compliance with these rules and after an accessibility audit by a competent authority with representation of persons with disabilities and accessibility experts. (5) Enforcement timeline. — These standards take immediate effect for projects where completion certificate has not been issued or projects not yet occupied. (6) Accountability. — Within three months of notification, every responsible establishment shall designate officers and processes to ensure compliance. (7) Periodic review. — The Central Government shall review these standards every three years to reflect updates to NBC/IRC and the Harmonised Guidelines and Space Standards for Universal Accessibility in India (2021).

3. Liability: All authorities competent to approve building plans, issue completion and occupation certificates, or regulate/operate public buildings and facilities shall ensure compliance with these non-negotiable standards. Non-compliance shall attract consequences under the Act and these Rules. The Schedule shall be updated, as necessary, upon revision of NBC/IRC codes or the Harmonised Guidelines (MoHUA, 2021), through notification.

SCHEDULE

Part A: Buildings and Building Sites

(Key Accessibility Issues)

Sl. No.	Non-Negotiable Standard	Primary References
A1	Pedestrian access into site; hazard-free circulation; railings/bollards clear-width 900–1200 mm.	IRC:SP:117 (3.2.20); NBC B-2.6
A2	Designated accessible parking (cars & adapted two-wheelers) near main entrance; on-street controls.	IRC:SP:117 (3.2.16); IRC:103 (6.11); NBC B-3
A3	Continuous accessible path to entrance with kerb ramps, TGSIs (guiding & warning), no trip hazards.	NBC B-2.2 to B-2.6; NBC B-4; NBC B-5
A4	Appropriate external lighting for walkways and entrances.	NBC B-2.7
A5	Accessible external furniture (light poles, seating, bins, kiosks) positioned outside clear paths.	IRC:SP:117; IRC:103
A6	Accessible information and wayfinding at entrance in multiple formats.	IRC:SP:117 (3.2.21); NBC B-24
A7	Suitable drop-off (alighting) and pick-up point (boarding) near main entrance.	NBC B-4
A8	Reduced travel distances; logical placement of vertical circulation (ramps/lifts).	NBC B-5
A9	Level entrances/exits; level changes via ramps ($\leq 1:15$ where unavoidable), stairs, lifts, escalators, lifting platforms.	NBC B-6.2 to B-6.6
A10	Simple, logical and obvious layouts; multi-sensory wayfinding.	NBC B-24; NBC B-5
A11	Unobstructed level circulation; control of barriers and hazards.	NBC B-2.6
A12	Accessible information/reception counters and desks; seating at desks/tables.	NBC B-1.1.1.3; NBC B-8.3; NBC B-10
A14	Obvious and accessible means of egress; emergency evacuation.	NBC B-23; NBC Part 4
A16	Safe stairs with compliant geometry; tactile/visual cues; handrails both sides.	NBC B-6.3; NBC Part 4 (12.18)
A17	Slip-resistant walking surfaces (IS 13801): min SCOF—dry 0.5; wet 0.6; steps/floors/lifts 0.6; ramps 0.8. measurable safety thresholds	NBC B-22; IS 13801
A18	Wide door openings and easy operation; compliant windows.	NBC B-5.3; NBC B-5.4

A19	Clearance around doors enabling wheelchair operation.	NBC B-5.3
A20	Adequate manoeuvring space at doors and circulation nodes.	NBC B-5.3
A21	Heights/location of controls and switches within reach ranges, operable without tight grasping.	NBC B-7
A22	Appropriate lighting (task-oriented and uniformity requirements).	NBC B-22
A23	Appropriate visual contrast of walls, floors, doors and signage.	NBC B-24.3
A24	Appropriate signage; consistent pictograms and placement.	NBC B-24
A25	Information via at least two senses (tactile, audible, visual).	NBC B-24; B-24.1.2; B-24.1.3
A26	Acoustic environment and hearing enhancement systems where required.	NBC B-21
A27	Drinking water facility reachable and usable by wheelchair users.	NBC B-7.11
A28	Handrails and grab bars—dimensions, placement and returns.	NBC B-5.5
A29	Security access systems inclusive of accessible interfaces.	NBC B-7.10
A31	Seating spaces with companion seating and wheelchair locations.	NBC B-8
A32	Toilet rooms and sanitary rooms, incl. all-gender accessible toilet on G/F and alternating RHS/LHS on upper floors.	NBC B-9
A33	Reception areas, counters, desks and ticket offices—reach, clear space and communication.	NBC B-10
A34	Cloakrooms with accessible counters and circulation.	NBC B-11
A35	Auditoriums, concert halls, sports arenas—accessible seating and viewing.	NBC B-12
A36	Conference and meeting rooms—clear floor space requirement and accessible routes.	NBC B-13
A37	Viewing spaces in assembly areas—line of sight from wheelchair positions.	NBC B-14
A38	Bars, pubs, restaurants—accessible routes, counters and seating.	NBC B-15
A39	Terraces, verandahs and balconies—edge protection and access.	NBC B-16
A40	Accessible bedrooms in non-domestic buildings.	NBC B-17
A41	Kitchen areas—reach ranges, clear spaces and controls.	NBC B-18
A42	Storage areas—shelves and lockers within reach ranges.	NBC B-19
A43	Accessible housing—dwelling-unit provisions.	NBC B-20
A44	Management and maintenance of the built environment.	NBC B-25
A45	Service-animal relief areas in airports, railway stations and malls.	Civil Aviation Accessibility Standards (para 18)
A46	Changing Places (changing stations—dimensions and fixtures).	NBC Table 8; NBC B-9.14
A47	Emergency evacuation—areas of rescue assistance and procedures.	NBC B-23; NBC Part 4, Civil Aviation standards
A15	[Reserved to maintain clause sequencing.]	—

SCHEDULE

Part B: Passenger Facilities (Bus Stops/Termini, Railway Stations incl. Platforms, Metro/BRT, Airports, Harbors and Jetties)

Sl. No.	Non-Negotiable Standard	Primary References
B1	Pedestrian access into site; railings and bollards positioned with wheelchair-admissible clear width.	IRC:SP:117 (3.2.20)
B2	Designated accessible parking near main entrance; on-street provisions.	IRC:SP:117 (3.2.16); IRC:103 (6.11); NBC B-3
B3	Accessible path to entrance and ensure platform changes are accessible (kerb ramps, TGSIs, dropped kerbs; no obstacles).	NBC B-2.2 to B-2.6; NBC B-4; NBC B-5

B4	Appropriate external lighting for walkways.	NBC B-2.7
B5	Accessible external furniture (light poles, seats, bins, kiosks) out of clear routes.	IRC:SP:117; IRC:103
B6	Accessible information at site entrance (wayfinding and signage).	IRC:SP:117 (3.2.21)
B7	Suitable drop-off and pick-up near main entrance.	NBC B-4
B8	Reduced travel distances (shortest accessible routes to gates/platforms).	NBC B-5
B9	Level entrances/exits; level changes via ramps, lifts, escalators, and lifting platforms; inter-platform transfer accessible.	NBC B-6.2 to B-6.6
B10	Simple and logical layouts.	NBC B-24; NBC B-5
B11	Unobstructed level circulation; barrier control.	NBC B-2.6
B12	Easy access to information desks and counters.	NBC B-1.1.1.3; NBC B-10
B13	Obvious and accessible means of egress; emergency evacuation.	NBC B-23
B14	Safe stairs with compliant geometry and cues for assisted evacuation.	NBC Part 4 (12.18); NBC B-6.3
B15	Slip-resistant walking surfaces.	NBC B-22; IS 13801
B16	Wide door openings and easy operation; compliant windows.	NBC B-5.3; NBC B-5.4
B17	Clearance around doors enabling wheelchair operation.	NBC B-5.3
B18	Adequate manoeuvring space.	NBC B-5.3
B19	Heights/location of controls and switches within reach ranges.	NBC B-7
B20	Appropriate lighting.	NBC B-22
B21	Appropriate visual contrast of walls, floors, doors and signage.	NBC B-24.3
B22	Appropriate signage.	NBC B-24
B23	Important information via at least two senses (tactile, audible, visual).	NBC B-24; B-24.1.2; B-24.1.3
B24	Acoustic environment; hearing enhancement systems where required.	NBC B-21
B25	Drinking water facility.	NBC B-7.11
B26	Handrails and grab bars.	NBC B-5.5
B27	Security access systems inclusive of accessible interfaces.	NBC B-7.10
B28	Seating spaces, including companion seating and wheelchair locations.	NBC B-8
B29	Toilet rooms and sanitary rooms, including changing station in accessible toilet.	NBC B-9
B30	Reception areas, counters, desks and ticket offices.	NBC B-10
B31	Cloakrooms.	NBC B-11
B32	Bars, pubs, restaurants, etc. (as applicable to facility).	NBC B-15
B33	Accessible bedrooms in non-domestic buildings (as applicable to facility).	NBC B-17
B34	Storage areas.	NBC B-19
B35	Management and maintenance of the built environment.	NBC B-25
B36	Service-animal relief area.	Civil Aviation Accessibility Standards (para 18)
B37	Emergency evacuation.	NBC B-23; NBC Part 4

[F. No.- I-15/8/2025-Legal]

MANMEET KAUR NANDA, Addl. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended vide G.S.R. 361(E), dated the 2nd July, 2024. The Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules on Non-Negotiable Accessibility Standards in Buildings and Built Environment, 2025.